

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर भरतपुर

अपील संख्या 17/2018 (अंतर्गत धारा 75 भू राजस्व अधिनियम)

तोताराम पुत्र श्री मोतीलाल जाति ब्राहमण निवासी धनवाडा तहसील कुम्हेर जिला भरतपुर।
अपीलान्त

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार कुम्हेर जिला भरतपुर।

रेस्पोडेन्ट

अपील अंतर्गत धारा 75 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम विरुद्ध तहसीलदार कुम्हेर दिनांक 29.12.2017 प्रकरण संख्या 29/2017 (91 एल आर एक्ट) प0ह0 धनवाडा बनाम तोताराम।

उपस्थित :

1. श्री हनुमान प्रसाद वकील अपीलान्त।
2. परोकार सरकार

दिनांक – 23.2.2018

निर्णय

यह अपील राजस्थान भू राजस्व अधिनियम की धारा 75 के अंतर्गत तहसीलदार कुम्हेर की आज्ञा दिनांक 29.12.2017 के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि खसरा नम्बर 1337/0.56 है0 वाकै ग्राम धनवाडा किस्म गै0मु0 रास्ता में से 0.01 है0 पर पक्की वाउण्ड्री कमरा एवं टैंक बनाकर अपीलान्त का पश्चातवर्ती अतिक्रमण मानते हुये अपीलाधीन आदेश से उक्त अतिक्रमित भूमि से अपीलान्त को बेदखल किये जाने एवं उसे अतिक्रमित रकबे के लगान 0.09 की पचास गुना राशि 5 रूपये के अर्थ दण्ड से दण्डित किया गया है साथ ही पश्चातवर्ती अतिक्रमी होने के फलस्वरूप तीन माह अर्थात नब्बे दिवस के साधारण कारावास की सजा से भी दण्डित किया गया है। जिससे व्यथित होकर यह अपील प्रस्तुत की गई है।

अभिभाषक अपीलान्त ने अपील में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि तहत अदालत का आदेश खिलाफ कानून रुयेदाद मिसिल है जो काबिल मंसूखी है। यह कि खसरा नम्बर 1337/0.56 ऐयर में से 1 ऐयर पर अपीलान्त का अतिक्रमण माना है जो कतई गलत है। अपीलान्त के मकान के वतरफ उत्तर जो दरवाजा था उसके आगे 6 व 8 फुट सडके के बीच में कच्ची पटरी थी जिस पर रैम्प बनी हुई थी जिसको दिनांक 10.11.2017 को तोड दिया था जो आज भी टूटी हुई है। अपीलान्त का गै0मु0 रास्ते पर कोई अतिक्रमण नहीं किया गया है बल्कि अन्य मकान मालिकों द्वारा अतिक्रमण किया हुआ है जिसकी अपीलान्त द्वारा शिकायत किये जाने के कारण पटवारी ने रंजिशवश अपीलान्त की बेबुनियाद तथ्यों पर रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है। तहत अदालत द्वारा न तो पैमायश की गई न मौका निरीक्षण किया गया न ही अपीलान्त को जबाब एवं सुनवाई का अवसर दिया गया एकतरफा में अपीलान्त की वैक पर यह अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है जो काबिले मंसूखी है। न तो पश्चातवर्ती अतिक्रमण की तारीख अंकित की है न ही बेदखली

की तारीख अंकित है न ही इस संबंध में कोई रिकार्ड तहत पत्रावली में उपलब्ध है। तहत अदालत द्वारा तथ्यों एवं रिकार्ड के विपरीत अपीलान्त को पश्चातवर्ती अतिक्रमी माना है। पूर्व में भी कभी भी अपीलान्त द्वारा कोई अतिक्रमण नहीं किया था और ना ही अब किया है। तहत अदालत की पत्रावली पर ऐसा कोई साक्ष्य सबूत नहीं है जिसके आधार पर अपीलान्त को पश्चातवर्ती अतिक्रमी माना जा सके फिर भी तहत अदालत ने मनमाने ढंग से मात्र पटवारी रिपोर्ट के आधार पर ही अपीलान्त को पश्चातवर्ती अतिक्रमी मानते हुये 90 दिवस के कारावास से दण्डित कर दिया है जो अपीलान्त के साथ अन्याय है। न पैमायश की गई न मौका देखा गया न अपीलान्त को सुना गया मात्र कयासों के आधार पर यह अपीलाधीन आदेश पारित किया है जो काबिल निरस्तनीय है। चूंकि अपीलाधीन आदेश अपीलान्तस की बैक पर पारित किया गया आदेश है इसलिए अपीलान्तस को इसकी कतई जानकारी नहीं थी। दिनांक 11.2.2018 को पुलिस द्वारा गिरफ्तार किये जाने की धमकी के कारण अपीलान्त को इस अपीलाधीन आदेश की जानकारी हुई। तदोपरान्त दिनांक 15.2.2018 को नकल प्रार्थना पत्र पेश किया एवं 15.2.2018 को नकल प्राप्त हुई परन्तु नकल में दिनांक 14.2.2018 देना गलत लिख दिया है। जानकारी दिनांक से अपील अन्दर मियाद पेश है। जिसके लिये पृथक से धारा-5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र पेश किया गया है। अपील प्रस्तुतीकरण में हुई देरी को क्षमा किया जाकर अपील अन्दर मियाद शुमार की जावे। अन्त में वकील अपीलान्त द्वारा अपील अपीलान्त स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश दिनांक 29.12.2017 निरस्त फरमाये जाने का निवेदन किया गया।

पैरोकार सरकार ने तहत अदालत तहसीलदार कुम्हेर के अपीलाधीन आदेश दिनांक 29.12.2017 की ताईद करते हुये कथन किया गया कि तहत अदालत द्वारा विधिवत कानूनी प्रक्रिया अपनाई जाकर ही अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है। जिसमें कतई किसी प्रकार के कोई हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं रहती है। क्यों कि अपीलान्तस/अतिक्रमी ने खसरा नम्बर 1337/0.56 है0 वाकै ग्राम धनवाडा किस्म गै0मु0 रास्ता में से 0.01 है0 पर पक्की वाउण्ट्री, कमरा एवं टैंक बनाकर अतिक्रमण कर लिया है जिसकी पटवारी हल्का धनवाडा 91 एल आर एक्ट के तहत रिपोर्ट प्रस्तुत की गई जिस पर नियमानुसार कार्यवाही की गई। नोटिस की विधिवत तामील भी अपीलान्त पर हुई है। अपीलान्त द्वारा न तो जबाब प्रस्तुत किया न ही कोई दस्तावेजी साक्ष्य सबूत पेश किया गया। गत सम्बत में भी अपीलान्त द्वारा उक्त भूमि पर अतिक्रमण किया गया था। जिसे नायब तहसीलदार की उपस्थिति में दिनांक 10.1.2017 को हटवाया गया था। पटवारी हल्का ने अपने बयानों में यह स्पष्ट किया है कि अपीलान्त द्वारा उक्त राजकीय भूमि पर अतिक्रमण कर रखा है और यह अतिक्रमण उसके द्वारा पुनः किया गया है। अर्थात अपीलान्त बखूबी पश्चातवर्ती अतिक्रमी की संज्ञा में आता है पटवारी के बयान एवं पटवारी रिपोर्ट दिनांक 16.11.2011 से यह स्पष्ट प्रमाणित है। उक्त राजकीय भूमि पर पुनः अवैध कब्जा एवं पक्का निर्माण करके भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 का उल्लघन किया है। इसलिए अपीलान्त को अतिक्रमी घोषित किया गया है। अपीलान्तस बार-बार अतिक्रमण करने का आदि है। पटवारी हल्का की रिपोर्ट एवं बयानों/ मौका रिपोर्ट तथा गत रिकार्ड से वर्तमान एवं गत अतिक्रमण सिद्ध हो जाने पर तहत अदालत द्वारा अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है जो उचित है। जिस भूमि पर अतिक्रमी बार बार अतिक्रमण कर रहा है वह भूमि सार्वजनिक उपयोग की भूमि है। अतिक्रमित भूमि राज0 काश्तकारी अधि0 1955 की धारा 16 के प्रावधानानुसार वर्जित होने से नियमन योग्य भी

नहीं है। ऐसी स्थिति में अपीलान्त के खिलाफ तहत अदालत द्वारा की गई कार्यवाही न्यायसंगत है। अन्त में पैरोकार सरकार द्वारा अपील अपीलान्त आधारहीन होने के कारण खारिज फरमाये जाने एवं अपीलाधीन आदेश दिनांक 29.12.2017 यथावत रखे जाने का निवेदन किया गया।

हमने वकील उभयपक्ष की बहस तर्कों पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया। अपील में प्रथमतः प्रार्थना पत्र म्याद अधिनियम धारा-5 पर विचार किया गया। आर.आर.डी. पेज 37 में माननीय उच्च न्यायालय ने प्रतिपादित किया है कि:-

“Limitation Act, 1963 Section 5 & While considering the question of condonation of delay in filing of revision, appeal or reference by state Govt. the Court, Tribunal or Authority has to first consider merits of the matter and where there is good case on merits the rule is to condone result in public mischief on skilful management of delay in the process of filing appeal etc. and public at large would be sufferer that makes a distinction and category of litigant state as compared to ordinary litigants”

तथा आर.बी.जे. (4) 1997 पेज 257, माननीय राजस्व मण्डल अजमेर ने प्रतिपादित किया है कि-

“ Liberal view should be Taken in Cononing The Dely in Filling The appeal”

इस प्रकार प्रकरण के गुणावगुण पर विचार कर निर्णय किया जाना उचित पाते हैं। अतः अपील प्रस्तुतीकरण में हुई देरी के संदर्भ में प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दफा-5 म्याद अधिनियम स्वीकार किया जाता है। रिकार्ड अवलोकन यह स्पष्ट है कि अपीलान्त द्वारा खसरा नम्बर 1337/0.56 है। वाकै ग्राम धनवाडा किस्म गै.मु. रास्ता में से 0.01 है। पर पक्की वाउण्डी एवं कमरा, टैंक बनाकर पुनः अतिक्रमण कर लिया है। तथ्यों के विपरीत वकील अपीलान्त द्वारा ऐसा कोई साक्ष्य/सबूत अदालत हाजा के समक्ष पेश नहीं किया जिससे पैरोकार सरकार के कथनों एवं तहत रिकार्ड के अतिक्रमी एवं पश्चातवर्ती अतिक्रमी होने के तथ्यों की आधारहीन होने की पुष्टि हो सके। इसके अलावा अपीलान्त का यह कहना कि तहत आदेश एकतरफा में हुआ है उचित नहीं है क्योंकि तहत न्यायालय द्वारा अतिक्रमी/अपीलान्त को नोटिस जारी किया गया है और उस पर वकायदा अपीलान्त के हस्ताक्षर मौजूद है यदि वे चाहते तो अपने बचाव में यथोचित साक्ष्य एवं सबूत पेश कर सकते थे न तो उनके द्वारा तहत अदालत में अपने बचाव में साक्ष्य सबूत पेश किये और न ही अदालत हाजा के समक्ष ऐसा कोई साक्ष्य सबूत पेश किया जिससे अपीलाधीन आदेश को बेबुनियाद या तथ्यों के प्रतिकूल माना जा सके। अपीलान्त द्वारा बार-बार उक्त सार्वजनिक रास्ता भूमि पर अतिक्रमण किया जाना भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के उल्लंघन के साथ साथ अपीलान्त की गलत मंशा को भी दर्शाता है जो न्यायोचित नहीं है। अतिक्रमित भूमि राज. काश्तकारी अधि. 1955 की धारा 16 के प्रावधानानुसार वर्जित होने से तहत अदालत द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश में हम किसी प्रकार की कोई विधिकत्रुटी नहीं पाते हैं। ऐसी स्थिति में अपील अपीलान्त आधारहीन होने के कारण निरस्त योग्य ही रहती है।

अतः उपरोक्त विवेचनानुसार अपील अपीलान्त आधारहीन होने के कारण खारिज की जाती है। तहत अदालत द्वारा पारित अपीलाधीन आज्ञा दिनांक 29.12.2017 में कोई विधिकत्रुटी प्रमाणित नहीं होने के कारण यथावत रखा जाता है।

निर्णय आज दिनांक 23.2.2018 को सुनाया गया।

अतिरिक्त जिला कलक्टर,
भरतपुर